न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 52 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. नगाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी धेंतालर (सवाऊ मूलराज) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
2. बाबुराम पुत्र स्व. खेताराम
3. रामराम पुत्र स्व. खेताराम
4. मुस्मात पारू पत्नि स्व. खेताराम जातियान जाट निवासीयान कंसुम्बला सरदारसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
5. रूपाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पेमाराम पुत्र तोगाराम
2.जोगाराम पुत्र तोगाराम
3.वालाराम पुत्र रायचन्दराम
4.पुरखाराम पुत्र रायचन्दराम
5.श्रीरामाराम पुत्र सोनाराम
जातियान जाट निवासी खोथो की ढाणी(ग्रा.प्र. हीरा की ढाणी) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
6.जेठाराम पुत्र देवाराम
7.गोमाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी (सवाऊ मूलराज) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
8.मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा।
9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 24 / 2017 बअनवान पेमाराम वगै. बनाम नगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री पूंजराज बामणिया रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 22.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सियागों की ढाणी में पक्षकारान का पैतृक खेत खसरा संख्या 249 रकबा 38.12 बीघा आया है। वक्त बंदोबस्त पक्षकारान के वालिद स्व. देवाराम जीवित थे जिनके नाम खसरा संख्या 251, 250 व 296 संयुक्त रकबा 198.01 बीघा वक्त बंदोबस्त दर्ज हुआ, परन्तु अपीलाधीन खेत खसरा संख्या 249 उक्त देवाराम के पुत्र अपीलांट संख्या 01 के पिता भगाराम व अपीलांट संख्या 01 से 05 के वालिद भूराराम के नाम जारी कर दिया और उनके फौत होने पर उनके वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 अपीलांट के नाम दर्ज हैं इस आराजी को पैतृक व स्व. देवाराम के समस्त पुत्रों के परिवार की संयुक्त काश्त कब्जे की होना बता कर मौजूदा छः पुत्रों के परिवार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 घोषित किया जावे इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी तारीख पेशी 17.04.2017 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले न प्रतिवादीगण ने इन सम्मनों को लेने से इंकार किया। अपीलांट/प्रतिवादीगण के सम्मन तामील करने वाले तामील कुनंदा जिसने बिना न्यायालय के आदेश के वैकल्पिक तामील कराई है का न्यायालय ने बिना सी पी सी के आदेश 05 नियम 19 के तहत बिना परीक्षण किये सम्मन तामील शुदा मानना विधि सम्मत नहीं है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु भू प्रबन्ध की खतौनी पर्चा लगान खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियां व लगान की रसीदात आदि आवश्यक है, परन्तु वादीगण ने अपने वाद का बिना किसी रेकर्ड को प्रदर्शित कराये डिक्री कराया है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई पुत्र या भाई अपने स्तर से सम्पति अर्जित कर ले तो ऐसी पैतृक सम्पति मानते है तो उन्हें अपने वाल्दि रायचन्द पुत्र देवाराम द्वारा स्वअर्जित खेत खसरा संख्या 89 रकबा 170 बीघा मौजा खोथो की ढाणी की भी पैतृक मानते हुए अपीलाधीन आराजी के साथ वाद पत्र में सम्मलित करना था। उतरदातागण की मंशा अपीलांट की भूमि येन–केन प्रकारेण हड़प करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी तारीख पेशी 17.04.2017 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले न प्रतिवादीगण ने इन सम्मनों को लेने से इंकार किया। अपीलांट/प्रतिवादीगण के सम्मन तामील करने वाले तामील कुनंदा जिसने बिना न्यायालय के आदेश के वैकल्पिक तामील कराई है का न्यायालय ने बिना सी पी सी के आदेश 05 नियम 19 के तहत बिना परीक्षण किये सम्मन तामील शुदा मानना विधि सम्मत नहीं है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु भू प्रबन्ध की खतौनी पर्चा लगान खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियां व लगान की रसीदात आदि आवश्यक है, परन्तु वादीगण ने अपने वाद का बिना किसी रेकर्ड को प्रदर्शित कराये डिक्री कराया है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई पुत्र या भाई अपने स्तर से सम्पति अर्जित कर ले तो ऐसी पैतृक सम्पति मानते है तो उन्हें अपने वाल्दि रायचन्द पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देवाराम द्वारा स्वअर्जित खेत खसरा संख्या 89 रकबा 170 बीघा मौजा खोथो की ढाणी की भूी पैतृक मानते हुए अपीलाधीन आराजी के साथ वाद पत्र में सम्मलित करना था। उतरदातागण की मंशा अपीलांट की भूमि येन–केन प्रकारेण हड़प करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन पर तामिल हो चुकी है तथा जानकारी हस्तगत वाद की अपीलांट को जानकारी थी जानबूझकर मामले को लंबा करने के लिए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अर्सा 15 दिन पूर्व होने से निर्णित प्रकरण की जांच कर दिनांक 03.07.2019 को नकले प्राप्त की तब अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की तामिल पर्याप्त रूप से नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की फर्द आबाद मकान पर चस्पा से तामिल करवाई गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामिल का आदेश आबद मकान पर चस्पा का नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2017 बअनवान पेमाराम वगै. बनाम नगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को समुचित सुनवाई मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.11.2019 को उपस्थित रहे।

22/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner